

// / आदेश // /

क्रमांक ३४४/स्था0सैट/2018

जबलपुर, दिनांक 1/11/2018

श्री नीरज सर्वटे, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खंडपीठ, इंदौर को मुख्यपीठ जबलपुर में श्री प्रशांत बागजिलेवाले निजी सहायक, मुख्यपीठ जबलपुर की पदोन्नति निजी सचिव के पद पर मुख्यपीठ जबलपुर में होने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पद पर वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800+ ग्रेड पे रु. 4200 (7 वें वेतनमान में लेवल 10 पे मेट्रीक्स 42700-135100) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

Sd/-  
(अरविन्द कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक ३४९/स्था0सैट/2018


जबलपुर, दिनांक 1/11/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर, (म.प्र.),
3. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी. ई./व्ही.एल./ई/पी.पी.एस. एकजाम एवं लेबर ज्युयडीशियरी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की बेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु
5. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार, (प्रोटोकाल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार स्थापना/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

8. कोषालय अधिकारी, नगर कोषालय जबलपुर।
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय म.प्र., (सैट) जबलपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
12. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार न्यायिक/निरीक्षण एवं सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा)/(परीक्षा एवं ट्रेनिंग) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/लेखा, उच्च न्यायालय म.प्र., (सैट) जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर।
14. श्री नीरज सर्वटे, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खंडपीठ, इंदौर, की ओर इस निर्देश के साथ कि, वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी वर्तमान पदस्थापना पर पद रिक्त होने पर उनकी पदोन्नति पर विचार किया जावेगा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(सतीश चंद्र राय)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)